10/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वादी नन्द किशोर द्वारा एम.पी.सं. 152 CPC बाबत संशोधित डिक्री जारी करने बाबत पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा प्रा.प. मे निवेदन किया गया कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/10/2025 मे सहवन से डिक्री मे प्रार्थी को प्राप्त ख.न. 31 तिवश रह गये है अतः संशोधित डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है।

हमने प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया की वादी द्वारा प्रा.प. मे वर्णित तथ्य सही है त्रुटिवश सहवन के कारण मे वादी को प्राप्त ख.न. डिक्री मे अंकन से रह गये है अतः उन्हे लिखा जाना व वादी का प्रा.प. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी नन्द किशोर द्वारा प्रस्तुत प्रा.प. अन्तर्गत धारा 152 CPC दिनांक 10/12/25 स्वीकार किया जाता है व न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/10/2025 बउनवान नन्द किशोर बनाम कल्लावती वगै० मे संशोधित डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को सुनाया गया। संशोधित डिक्री दिनांक 10/12/25 जारी हो।